†[HINDI-KNOWING EMPLOYEES IN SECTIONS OF ELECTION COMMISSION.

177. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of Sections in the Election Commission which have a majority of Hindi-knowing employees; and

(b) the number of those sections amongst them which has been permitted to do noting work in Hindi?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) (क) निर्वाचन आयोग की दस शाखाओ में से ६ मे हिन्दी जानने वाले कर्मचारी बहुसख्या मे है ।

(ख) किसी को नही ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI R. M. HAJARNAVIS): (a) Of the ten branches in the Election Commission, six have a majority of Hindi-knowing staff

(b) None]

निर्वाचन आयोग में प्राप्त हिन्दी पत्र

१७८ **श्री नवाबसिंह चौहान** क्या **विधि** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) गत छ मास मे निर्वाचन आयोग के कार्यालय मे कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और कितने पत्रो का उत्तर हिन्दी मे दिया गया और कितनो का अग्रेजी मे ,

(ख) जिन हिन्दी पत्रो का उत्तर अग्रेजी में दिया गया उनका उत्तर हिन्दी में न देने का क्या कारण था , और

(ग) ऐसी क्या व्यवस्था की गई है या की जा रही है कि भविष्य मे हिन्दी मे प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी मे दिया जाये ?

†[HINDI COMMUNICATIONS RECEIVED IN THE ELECTION COMMISSION

178. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of communications received in Hindi in the Office of the Election Commission during the last six months and the number of those Communications which were replied to in Hindi and English respectively;

(b) the reason for not replying to in Hindi the Hindi communications which were replied to in English; and

(c) what arrangements have been made or are being made to ensure that in future replies to all the communications received in Hindi are sent in Hindi?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) (क) निर्वाचन आयोग के कार्यालय मे गत ६ मास के दौरान आये हिन्दी पत्रो की सख्या ३२२ थी । इन में से १६८ केवल सूचनात्मक प्रकार के थे जिनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नही थी । एक पत्र का उत्तर हिन्दी मे दिया गया था और शेप १५३ पत्रों के उत्तर अग्रेजी में दिये गये थे ।

(ख) और (ग) तृतीय साधारण निर्वाचन से उद्भुत काम की अधिकता के कारण यह सभव नही था कि इन पत्रो के उत्तर हिन्दी में बनाये जाने के निमित्त काम में जो वृद्धि होती है उसकी जिम्मेदारी उठाई जा सके । चुनावों के पश्चात्वर्ती कामो के निबटाने के कारण इस दिशा मे कोई प्रयास करने से पहले इस बारे में अभी कई महीने और लगेगे । इसके

†[ ] English translation

अतिरिक्त पदाधिकारी और कर्मचारी भी यह भरोसा नहीं रखते कि उन्हें हिन्दी का इतना पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है कि वे इस काम को शीघ्रता से और दक्षतापूर्वक संभाल सकते हैं।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI R. M. HAJARNAVIS): (a) The number of communications received in Hindi in the office of the Election Commission during the last six months was 322. Of these, 168 were only of an informative character requiring no reply. One communication was replied in Hindi, and the remaining 153 were replied in English.

(b) and (c) Owing to the pressure of work arising out of the third general election, it was not possible to undertake additional work involved in drafting replies to these letters in Hindi. Because of the post-election work, it will still take some months before any attempt can be made in the direction. Further, the officers and the staff do not feel that they are sufficiently conversant with Hindi to undertake this work with speed and efficiency.]

दिल्ली के न्यायालयों में प्रयोग में आने वाले फार्मों का हिन्दी अनुवाद

१७९. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में प्रयोग में आने वाले कितने फार्मों का हिन्दी मे अनुवाद हो चुका है और कितनों का अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है ;

(ख) जिन फार्मों का अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है उनका अनुवाद करने की क्या व्यवस्था की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) जिन फार्मों का अनुवाद हो चुका है उनको हिन्दी में या हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में एक साथ छपवाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

†[HINDI TRANSLATION OF FORMS USED IN THE COURTS OF DELHI

179. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of forms in use in the Courts of Delhi, which have been translated into Hindi and the number of those which have not been translated into Hindi so far;

(b) what arrangements have been made or are proposed to be made to translate those forms into Hindi which have not so far been translated; and

(c) what arrangements have been made to get the translated forms printed in Hindi or both in Hindi and English in the bilingual form?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) दिल्ली मे प्रयोग में आने वाले ३३६ फार्मों में से ५२ फार्मों का अनुवाद हिन्दी में हो चुका है। शेष २८४ फार्मों का अनुवाद अभी होना है।

(ख) फार्मों के अनुवाद का कार्य अभी हाल में खोले गये हिन्दी के विभाग को सौपा गया है।

(ग) विभिन्न फार्मों का हिन्दी में अनुवाद होने के पश्चात् वे मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक (Chief Controller of Printing and Stationery) द्वारा छपवा लिए जायेंगे।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) 52 out of the 336 forms in use in Delhi have been translated into Hindi. The remaining 284 forms are yet to be translated.

†[ ] English translation.